

2-11/17

123/2918/17  
28/11/17

फार्म

\* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016 (31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति में)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नरेश कुमार टिम्पानी 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ उपायुक्त  
3. वर्तमान वेतन 3440/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2017



उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) ग्राम बेटवा तहसील डुमूर, बाराणसी-भोपाल	भूखण्ड	प्लॉट नं. 23 खसरा नं. 612 45x127= 5715 SF	रूपये 30 लाख (अनुमानित)	स्वयं के नाम पर	एक सुरत डेय, म.प्र. विधान सभा सचिवालय कर्म. सह. (साख) समिति के अग्रण से.	- नहीं -
(2) मंडाल नं. 372, वनयी हिलस, भारतीय सिन्धु हाउसिंग सोसा. बाराणसी-भोपाल (म.प्र.)	भवन	30x40= 1200 SF	50 लाख रूपये (अनुमानित)	जीमती अनीता टिम्पानी पत्नी	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिलस ब्रांच, भोपाल से पूरे अग्रण रूपये 14.10 लाख लकर एवं रूपये की वचत तथा WPF की राशि से.	- नहीं -

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर नरेश कुमार टिम्पानी  
नाम नरेश कुमार टिम्पानी  
पद वरिष्ठ उपायुक्त  
मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.